पश्चिम मध्य रेल

क्र.सीएससी/जेबीपी/अभियोजन/13

कार्यालय
महानिरीक्षक-सह-मुख्य सुरक्षा आयुक्त
रे.सु.ब./प.म.रेल/जबलपुर
दिनांक-27.08.2013

उप मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता (टेली.)
पश्चिम मध्य रेल/जबलपुर

विषय- माह जुलाई-2013 में पश्चिम मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में रेल अधिनियम एवं रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण ।

,,,,,,,,,,

उपरोक्त विषय में सुरक्षा विभाग से संबंधित जानकारी ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है । साथ ही हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया संलग्न जानकारी पश्चिम मध्य रेल की वेब साइड में अंकित करने का श्रम करें ।

संलग्न/- 04 पेज ।

सहायक सुरक्षा आयुक्त (अभियोजन)
रे.सु.ब./मुख्यालय/जबलपुर

रेल संपत्ति (वि0वि0क0) अधिनियम के अंतर्गत माह- जुलाई2013 मे पंजींत मामले

माह	हल किये गये मामले	बरामद संपत्ति की कीमत	गिरफ्तार		
			बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
जुलाई-2013	30	89590	56	00	00

रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह जुलाई2013

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
जुलाई2013	30	30	169340	89590	56	00	00

बुकशुदा संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह जुलाई-2013

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
जुलाई-2013	01	02	6750	17500	13	00	00

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह जुलाई-2013

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
जुलाई2013	29	28	162590	72090	43	00	00

रे.सु.ब. द्वारा माह जुलाई 2013के दौरान किये गये अच्छे कार्यो ब्यौरा

1) दिनांक 11.07.2013 को सहायक उप निरीक्षक आर.पी. त्रिपाठी हमराह स्टाफ के साथ डिप्टी एसएस सागर की सूचना पर गाड़ी संख्या 51613 मे गेट क्रमांक 24 के पास एसीपी होने पर अटेण्ड करने पहुंचे, जब तक गाड़ी रवाना हो गई थी, गेट के पास लाइन के किनारे 22 बण्डल तेन्दू पत्ता पाये गये। जिसे कब्जा रेसुब लेकर मालिक की तलाश की गई लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। बाद उक्त तेन्दू पत्ता के बण्डलों को रेसुब पोस्ट सागर लाकर रखा गया एवं उसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग सागर के द्वारा वन रक्षक कृष्ण मुरारी को रेल सुरक्षा बल, पोस्ट सागर भेजा गया, जिसे जप्त किये गये तेन्दू पत्ता के बण्डलस को सुपुर्द किया गया। जप्त किये गये बण्डलस की कीमत 7000/- आंकी गई है।

2) दिनांक 13.07.2013 को उपनिरी. रेसुब/इटारसी आर.बी.सिह व आर. राकेश मिश्रा द्वारा दौराने गस्त इटारसी स्टेशन पर एक व्यक्ति को भागते हुए पकडा उसी दौरान एक अन्य व्यक्ति सुदामा प्रसाद प्रजापति उपस्थित हुआ तथा बताया कि जिस व्यक्ति को आपने पकडा है वह अभी-अभी गाडी क्र.11057 पठानकोट से उनका एक काले रंग का पर्स जिसमे 200 रुपये रखे थे उसे उनकी जेब से निकालकर भाग गया था पकडे गये व्यक्ति के हाथ मे एक काले रंग का पर्स था जिसमे 200 रुपये थे पकडे गये व्यकित को मय माल फरियादी के साथ जीआरपी इटारसी को सुपुर्द किया गया।

3) दिनांक 18.06.2013 को गाड़ी संख्या 12779 डाउन गोवा एक्सप्रेस में भोपाल स्टेशन में डियूटी तैनात आरक्षक डेबिडदीन व आरक्षक अजय सिंह ने कोच की चेंकिंग कर शौचालय से सागौन की इमारती लकड़ी (चरपट) 08 नग शौचालय से उतारी गई, लकड़ियो का परिवहन करने वाले ब्यक्तियो का पता नही चला, स्टाफ द्वारा उक्त जानकारी शिफ्ट इंचार्ज सउनि रामचेत डी को दी गई, सउनि ने मौके पर उपस्थित होकर समक्ष गवाहान लकड़ियों को जप्त कर पोस्ट पर सुरक्षित रखा गया। वन परिक्षेत्राधिकारी उड़न दस्ता भोपाल द्वारा जप्त शुदा इमारती लकडी उपरोक्त का नाप तौल करने पर 0.229 घनमीटर हुई, जिसकी बाजार कीमत 8000/-रू आंकी गई है। उपरोक्त बरामद लकड़ियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु वन विभाग को दिनांक 03.07.13 को सुपुर्द किया गया है।

4) दिनांक 29.07.2013 को उपनिरी. विजय सिंह हमराह स्टाफ आर. राकेश मिश्रा द्वारा दौराने गस्त गाड़ी क्र. 12615 जी.टी. एक्सप्रेस के आगमन के समय एक नाबालिग लड़का लावारिस हालत में घूमता हुआ दिखाई दिया जिसने अपना नाम मनीष मौर्या आयु लगभग 13 साल निवासी-जिला सूरत गुजरात बताया तथा बताया कि उसका उसके छोटे भाई अनीष से झगड़ा हो गया था तथा पिताजी के डर से वह घर से भाग आया। उक्त बालक के पिता को एवं जीवोदय संस्था को उक्त घटना के संबंध में जानकारी दी गई तथा उपरोक्त लड़के को सही हालत में उचित कार्यवाही हेतु जीवोदय संस्था को ताबे में दिया गया। बाद दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष जीवोदय संस्था के कार्यकर्ता श्री राजेश यादव व रोहित दुबे के द्वारा उक्त लड़के मनीष मौर्या को उसके पिता श्री हरिशंकर मौर्या को सही व पाक-साफ हालत में सुपुर्द किया गया।

5) दिनॉक 09.07.2013 को सउनि यतेन्द्र सिंह, भरतपुर ने नोट कराया कि गाडी संख्या-12307 जोधपुर- हावड़ा एक्स0 के कोच नं एस-11 बर्थ नं. 1,2 पर यात्रा कर रहे यात्री शिवपुजन मोर्या उम्र-32 वर्श, निवासी-जौनपुर (उ0प्र0) पीएनआर नं.- 6520990080 म्ग. ब्क जव ठज्म ने रे0सु0ब0 पोस्ट भरतपुर में सूचना दी कि उक्त कोच में बर्थ नं. 1, 2 पर महिला यात्री का भूरे रंग का मनी बैग रह गया है। सूचना पर सउनि यतेन्द्र सिंह ने मं0सु0नि0 कक्ष/आगरा से अनुरक्षण पार्टी में तैनात सउनि राजकुमार सिंह के मोबाईल नं0 लेकर उनसे सम्पर्क कर उक्त कोच में बैग रह जाने की सूचना दी, जिस पर सउनि राजकुमार सिंह ने उक्त कोच में जाकर बैग को अपने कब्जे में लिया तथा भरतपुर में उक्त बैग को प्र0आर0 धर्मवीर सिंह को सुपुर्द किया। बैग में एक नोकिया कम्पनी का मोबाईल, सोने की लौग व महिला श्रृगांर का सामान था, जिसे उक्त यात्री से पावती लेकर सुपुर्द किया गया।

6) दिनॉक 12.07.2013 को गंगापुरसिटी स्टेशन पर कॉ0 अमित सिंह को दो छोटे लावारिस बच्चें प्लेटफार्म नं0 1 पर मिले जिन्हें निरीक्षक सवाईमाधोपुर के निर्देशानुसार सवाईमाधोपुर लेजाकर उप निरीक्षक महेश मीणा को सुपुर्द किया गया। उप निरी0 द्वारा पूछने पर नाम 1) चेतराम उम्र- 8 वर्श, 2) दिलखुश पुत्र हरिराम, उम्र-6 वर्श, निवासी-ग्राम सारसोत बताया। बाद उप निरी0 द्वारा ग्राम सारसोत के पूर्व संरपच श्री मोतीलाल मीणा से संपर्क किया तो बताया कि बच्चे दिनांक 11.07.2013 को घर से गये है। बच्चों के परिजनों (चाचा राधाकिशन व रामकरण) को समक्ष पचांग सुपुर्द किया।

7) दिनांक 14.07.2013 को उप निरी0 पवन कुमार :र्मा स्टेशन गस्त के दौरान प्लेटफार्म नं0 3 पर दो लावारिस बच्चों को घूमते हुए देखा पूछने पर नाम क्रमशः सहदेव पुत्र नवल सिंह, उम्र-12 वर्श व बृजेश पुत्र रामप्रसाद, उम्र 10 वर्श दोनो निवासी-संजय स्टेडियम के पीछे, आजाद मोहल्ला आशोक नगर (म0प्र0) बताया। इस संबंध में एसएस कोटा को सूचित किया। बाद उन्हें खाना खिलाकर जीआरपी कोटा के सुपुर्द किया गया। जीआरपी द्वारा उचित कार्यवाही कर उत्कर्श संस्थान कोटा के सुपुर्द किया गया।

8) दिनांक 14.07.2013 को गाडी सं0 12956 की सुरक्षा पार्टी इन्चार्ज हे0का0 जनक बाबू ने एक लावारिस बच्चे को स्लीपर कोच में घूमते हुए देखा, जिसे रामगंजमण्डी में सउनि वीरेन्द्र यादव के सुपुर्द किया। बाद पूछने पर नाम लक्की पुत्र प्रहलाद, उम्र-12 वर्श, निवासी-एल0आई0जी0 चौक गंगापुर, जिला-भीलवाड़ा बताया। इस बाबत एसएस रामगंजमण्डी को बताया गया। सिविल पुलिस थाना भीलवाडा से संपर्क किया तो ज्ञात हुआ कि उक्त नाम से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस द्वारा परिजनों को सूचित किया गया। दिनांक 15.07.2013 को उसके पिता श्री प्रहलाद रामगंजमण्डी आने पर दो पंचों के समक्ष बच्चें को सुपुर्द किया।

9) दिनांक 22.07.13 को ब्डध्ब्ज्ट.झ्ज्ज ने मसुनिकक्षक कोटा को नोट कराया कि गाडी न0 12968 के कोच न0 एस/1 की बर्थ 11 पर यात्रा कर रही एक महिला नाम सीता देवी उम्र-करीबन 30 साल, जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब है गायब हो गई है। उक्त सूचना सभी पोस्टों पर नोट कराई गई। सउनि/रामगंजमंडी वीरेन्द्र यादव ने नोट कराया कि उक्त महिला को स्टेशन पर तलाश किया तो एक महिला मुसाफिरखाने में चुपचाप बैठी हुई मिली, नाम पुछने पर अपना नाम सीता पत्नि चंपालाल बताया। उक्त सूचना मसुनिकक्ष को नोट कराई गई तथा उक्त महिला के परिजनों को सूचना दी गई, जिसपर उक्त महिला के पति चंपालाल पुत्र मल्लाराम उम्र-36 वर्श निवासी-राठियाखुर्द, थाना-रायपुर जिला-पाली, राज0 द्वारा अपनी पत्नि का पहचान पत्र पेश करने पर दो पंचो के समक्ष लिखित तहरीर के सुपुर्द किया गया।

10) इस माह में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर 275 व्यक्तियों के विरुद्ध तम्बाकु अधिनियम (प्तवीपइपजपवद व ि किअमतजपेमउमदज ंदक तमहनसंजपवद व ि जतंकमए चतवकनबजपवदए ेनचचसल ंदक कपेजतपइनजपवद ।बजए 2003द्ध के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे 55,000/-रू. का जुर्माना वसूल किया गया।

रेल अधिनियम के तहत माह जुलाई-2013 में की गई कार्यवाही का विवरण :-

धारा	पंजीकृत मामले	जुर्माना रू. में
137	1756	887728
138	7383	2891446
139	00	00
141	332	122272
142	00	00
143	00	00
144	1208	251765
145	803	90305
146	21	11200
147	619	94050

153	02	00
154	08	27700
155	1091	85000
156	322	26000
157	00	00
159	795	74100
160	07	4000
161	01	5000
162	1187	47800
163	00	00
164	02	00
165	00	00
166	00	00
167	60	1400
172	01	00
173	00	00
174	05	1000
175	00	00
176	00	00
180–जी	00	00
कुल योग	**15603**	**4620766**